न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–11/2020 (2020/00111) दर्ज दिनांक 08.06.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

रामपाल पिता भेरूलाल शर्मा निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री महेश दाद्यीच

विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः–29.01.2021

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाडा के वेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हाल आराजी खसरा नं0 813 रकवा 0.07 हे0 किस्म बारानी I , 814 रकबा 0.09 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता कुल किता 02 कुल रकवा 0.16 हे0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर मिलना क्षेत्रफल में दर्शित अनुसार 390 मीन रकवा पंद्रह बिस्वा किस्म । A यानी कि बारानी । है व 390 मीन है जिसके लिये मिलान क्षेत्रफल एवं साबिक जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:49 IST
Reason: SelfAttested

1.

(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी के नाम बन्दोबस्त से पूर्व साविक आराजी संख्या 394 मीन रकबा 15 बिस्वा किस्म । A खातेदारी अधिकारों से दर्ज थी जिसका साविक नक्शा प्रा0पत्र के साथ प्रस्तुत है। दोराने बन्दोबस्त भु–प्रबंध अधिकारियों ने नवीन नम्बर 813 रकबा 0.07 हे0 व 814 रकबा 0.09 हे0 कायम कर मिलान क्षेत्रफल में 813 को 394 मीन रकबा 15 बिस्वा से बनना बताया है व इसी प्रकार 814 को 390 मीन से बनना अंकित किया है जबकि वास्तविक में नवीन नम्बर 814 साविक आराज संख्या 394 का भू–भाग है तथा साविक नक्शे से भी 814 साविक आराजी संख्या 394 में ही फिट होता है जबकि भू–प्रबंध अधिकारियों ने त्रुटिवश 390मीन से बनना अंकित कर दिया है जो अवैध होकर शुन्य है जबकि साविक रेकार्ड अनुसार 814 साविक आराजी संख्या 394 से बनता है व 394 का रकबा जो 15 बिस्वा है उसका अन्य से नये नम्बर बनना मिलान क्षेत्रफल में कंही अंकित नहीं है जिससे त्रुटिवश 394मीन गलत अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवष्यक हो गया है एवं उक्त त्रुटि दौराने बन्दोबस्त हुई है।

यह कि हाल आराजी संख्या 814 रकबा 0.09 हे0 जिसके साविक नम्बर 394 मीन रकबा 15 बिस्वा है जिसे मिलान क्षेत्रफल में 390 गलत अंकित कर दिया तथा मौके पर उक्त आराजियात में एक सिंचाई का धोरा स्थित है, साविक रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि की किस्म । A थी व वर्तमान में उक्त भूमि पर काष्त हो रही है व कोई रास्ता अवस्थित नहीं है लेकिन भू–प्रबंध अधिकारियों ने कृषि भूमि को रास्ता अंकित कर दिया जबकि भू–प्रबंध अधिकारियों को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के भूमि की किस्म बदलने का अधिकार नहीं है। मौके पर पूर्व में भी रास्ता नहीं था न वर्तमान में रास्ता हैं उक्त त्रुटि दौराने बन्दोबस्त हुई है जो दुरूस्त होने योग्य है जिसके लिए साविक रेकार्ड व साविक नक्शा मुलायजा हो। हाल आराजी संख्या 814 रकबा 0.09 हे0 की किस्म व मिलान क्षेत्रफल में अंकित 390 की जगह 394 करने से किसी का भी रकबा व गांव का रकबा भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि मिलान क्षेत्रफल में 390 अंकित है व उसके आगे रकबा नहीं दे रखा है जिससे किसी भी आराजियात के हित प्रभावित नहीं होंगे।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की हाल आराजी संख्या 814 रकबा 0.09 हे0 की किस्म । A की जावे व मिलान क्षेत्रफल में 390 की जगह 394 से बनना अंकित किया जाने का आदेश फरमाया जावें व तदनुसार संशोधन कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:49 IST
Reason: SelfAttested

2.

Scanned with CamScanner

मौके अनुसार ग्राम अड़सीपुरा के खाता संख्या 511 में दर्ज खसरा संख्या 813 रकबा 0.07 किस्म बारानी I एवं खरारा संख्या 814 रकबा 0.09 गे0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के आराजी नं0 813 गत खसरा संख्या 394 मी से रकबा III किस्म एवं 814 में गत नं0 390 दर्ज है जो गलत है यह भी खसरा नं0 394 मीन दर्ज किया जाना उचित है। मुताबिक मौका निरीक्षण के एवं रेकार्ड का अवलोकन करने पर आराजी संख्या 814 रकबा 0.09 हे0 गे0मु0 रास्ता के बजाए 0.02 हे0 गे0मु0 रास्ता एवं 0.07 हे0 बारानी I भूमि का इन्द्राज किया जाना उचित है क्योंकि वर्तमान नक्शे में आराजी नं0 813 व 814 के उत्तरी मेड पर एक रास्ता नुमा लाईने दर्शा रखी है जिसमें वर्तमान में पड़ौसी खातेदारों का एवं स्वयं का आवागमन जारी है एवं उपस्थित खातेदारान ने वर्षो पूर्व पानी का धोरा होना बताया है जो वर्तमान में आवागमन के लिए प्रयोग हो रहा है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया। बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम अड़सीपुरा के खाता संख्या 511 में दर्ज खसरा संख्या 813 रकबा 0.07 किस्म बारानी I एवं खसरा संख्या 814 रकबा 0.09 गे0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के आराजी नं0 813 गत खसरा संख्या 394 मी से रकबा III किस्म एवं 814 में गत नं0 390 दर्ज है जो गलत है यह भी खसरा नं0 394 मीन दर्ज किया जाना उचित है। मुताबिक मौका निरीक्षण के एवं रेकार्ड का अवलोकन करने पर आराजी संख्या 814 रकबा 0.09 हे0 गे0मु0 रास्ता के बजाए 0.02 हे0 गे0मु0 धोरा एवं 0.07 हे0 बारानी I भूमि का इन्द्राज किया जाना उचित है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा की हाल आराजी संख्या 814 रकबा 0.09 हे0 गे0मु0 रास्ता के बजाए 0.02 हे0 गे0मु0 धोरा एवं 0.07 हे0 बारानी I भूमि का इन्द्राज करने व मिलान क्षेत्रफल में 390 की जगह 394 मीन दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 17:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner